नगिरानी उपायों पर सेबी की बढती सख्ती

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतभिूति एवं वनिमिय बोर्ड (सेबी) द्वारा कंपनयिों को ग्रेडेड सर्वलिांस मीज़र्स (Graded Surveillance Measures-GSM) के तहत लाने संबंधी प्रक्रयिा की समीक्षा की जा रही है। इस प्रक्रयिा को पहले की अपेक्षा और अधकि पारदर्शी बनाने के लयि यह कार्य कयिा जा रहा है। ध्यातव्य है कि जीएसएम को गत वर्ष फरवरी में लागू कयिा गया था, इसके दायरे में 700 से भी अधकि कंपनयिों को रखा गया है।

प्रमुख बदिु

- इसके संबंध में चतिा की बात यह है कि जीएसएम के दायरे में रखने के लयि कंपनयिों के चयन का स्पष्ट मानदंड नरि्धारति नहीं कयिा गया है।
- वशिेषज्ञों के अनुसार, इसके तहत केवल कमज़ोर आधार वाली कंपनयिों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया गया है, वशिेषकर ऐसी कंपनयिों के प्रति जो अक्सर धोखाधड़ी करने वालों के नशिाने पर होती हैं।
- उदाहरण के लयि, बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जीएसएम के वभिन्नि चरणों में इसके दायरे में करीब 400 कंपनयिों को रखा है। इसमें से 132 कंपनयिाँ ग्रेड 6 के तहत आती हैं जहाँ सबसे अधकि प्रतबिंध है।
- जैसा कि हम जानते हैं जीएसएम का उद्देश्य कमज़ोर फंडामेंटल्स अथवा कम बाज़ार पूंजीकरण वाली कंपनयिों के शेयरों में असामान्य तेज़ी को नयिंत्रति करना है।
- जीएसएम के दायरे में आने वाली कंपनयिों के संबंध में सबसे अहम बात यह है कि नविशकों को उन मानदंडों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है जनिके तहत कंपनयिों को जीएसएम के दायरे में रखा जाता है।
- आपको बता दें कि जीएसएम के ग्रेड 2 के तहत शेयरों की खरीद-फरोख्त हेतु खरीदार से एक अतरिक्ति नगिरानी जमा (एएसडी) रकम वसूली जाती है जो खरीद मूल्य की 100 फीसदी होती है।
- जैसे-जैसे बकिवाली कम होती जाती है, शेयर मूल्य में भी गरिावट आती जाती है जसिसे नविशकों के लयि इस चक्र से बाहर आना कठनि हो जाता है।

ग्रेडेड सर्वलिांस मीज़र्स (Graded Surveillance Measures-GSM)

- देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बंबई शेयर बाज़ार (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के शेयर मूल्यों में असामान्य तेज़ी पर नज़र रखने के लयि ग्रेडेड नगिरानी प्रणाली को स्थापति कयिा गया है। यह नई व्यवस्था मौजूदा नगिरानी संबंधी उपायों से काफी अलग है।
- वस्तुतः इसकी शुरुआत के पीछे सेबी का उद्देश्य उन प्रतभिूतयिों के व्यापार में कमी लाना है, जनिकी कीमतों में असामान्य दर से वृद्धि हो रही है और इनकी कीमतों में हो रही यह वृद्धि कंपनी की वत्तिीय अवस्था और मूल तत्त्वों के अनुरूप नहीं है।
- ग्रेडेड सर्वलिांस मीज़र्स (जीएसएम) के तहत चन्हिति प्रतभिूतयिों के संदर्भ में बाज़ार के भागीदारों के लयि अतरिक्ति सतर्कता बरती जा रही है।
- हाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब कुछ कंपनयिों के शेयर मूल्यों में ज़ोरदार तेज़ी देखी गई, जबकि इसके पीछे कोई खास वज़ह नहीं रही।
- इसके अंतर्गत सेबी संदेहास्पद अथवा मूल्य हेराफेरी या 'शेल कंपनयिों' के दायरे में आने वाली कंपनयिों के शेयर अपने पास रख सकती है।
- यह आकलन स्टॉक बाज़ार में नविश करने वाले नविशकों के लयि लाभकारी सद्धि होगा, क्योंकि इससे उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि उन्हें सर्वलिांस के तहत कनि प्रतभिूतयिों के साथ व्यापार करने में अतरिक्ति सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

यह कैसे कार्य करता है?

- इसके अंतर्गत यदि किसी फर्म की पहचान की जाती है, तो नगिरानी कार्यों के साथ उस फर्म को छह चरणों से गुज़रना होता है।
- इसके प्रथम चरण में इन प्रतभिूतयिों को व्यापार-से-व्यापार अनुभाग (trade-to-trade segment) में रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के सट्टा व्यापार की अनुमति नहीं दी जाती है।
- साथ ही, इसमें शेयर का वतिरण और कंसीडरेशन राशि (consideration amount) का भुगतान भी अनविार्य हो जाता है।
- दूसरे चरण में, व्यापार-से-व्यापार अनुभाग में प्रतभिूति के खरीदार को व्यापार मूल्य का 100% 'अतरिक्ति नगिरानी जमा' (additional surveillance deposit) के रूप में रखना होता है। इस जमा राशि को लेन-देनों के माध्यम से पाँच महीने तक इसी प्रकार रखा जाता है तथा इसके बाद व्यवस्थति तरीके से खरीदार को लौटा दयिा जाता है।
- इसके तीसरे चरण में, एक सप्ताह में एक ही बार (जैसे सोमवार को) व्यापार की अनुमति दी जाती है। इसके अतरिक्ति, इसे खरीदार द्वारा 'अतरिक्ति नगिरानी जमा' के रूप में रखी गई 100% धनराशि से अलग रखा जाता है।
- इसके चौथे चरण में, एक सप्ताह में एक ही बार व्यापार करने की अनुमति दिये जाने के साथ-साथ 'अतरिक्ति नगिरानी जमा' राशि व्यापार मूल्य का

200% हो जाती है।

- इसके पाँचवें चरण में, 200% की अतिरिक्त जमा के साथ एक महीने में एक बार (माह के पहले सोमवार को) ही व्यापार की अनुमति दी जाती है।
- इसके छठे और अंतिम चरण में, कंपनियों पर अधिकतम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस चरण में एक माह में एक बार ही व्यापार की अनुमति के साथ-साथ कीमतों में वृद्धि संबंधी अनुमति भी दी जाती है। इसके अंतर्गत निगरानी जमा राशि भी 200% होती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

- यह भारतीय प्रतिभूति बाज़ार की नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी।
- सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी, 1992 को सेबी को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- सेबी अर्द्ध-विधायी, अर्द्ध-न्यायिक और अर्द्ध-कार्यकारी तीनों प्रकार के कार्य संपादित करता है।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- इसका प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाज़ार का नियमन करना तथा स्टॉक निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sebi-strict-on-monitoring-measures